

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी

R-1415-I-17

तासी
पुरी
गंट

श्री. एम.पी. धार, डी.डी.
प्र.क. आज दि. 22/5/17 को
प्रस्तुत
वर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

फूल सिंह पुत्र श्री भैरोंलाल लोधी निवासी ग्राम
ऊमरीकलों तहसील पिछोर जिला शिवपुरी म.प्र.

--- आवेदक

विरुद्ध

स्टस

1. खलक सिंह पुत्र राधेलाल लोधी
2. कपूरी पत्नी खलक सिंह लोधी /
3. बृजेश पुत्र खलक सिंह लोधी
4. राजकुमारी पत्नी महेश कुमार लोधी

ग्राम

959

समस्त निवासीगण ग्राम ऊमरीकलों तहसील पिछोर
जिला शिवपुरी म.प्र.

नांक

द्वारा

--- अनावेदकगण

नं०

तथ्य

में

वेदन

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय
अनु.वि.अधि. पिछोर जिला शिवपुरी प्र.क. 142/2012-13 अपील में
पारित आदेश दिनांक 20.04.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

नांक

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :-

प्र-2


1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, भूमि सर्वे क. 177 जिसका बन्दोवस्त के बाद नवीन सर्वे क. 78 फाइल किया गया। जिसके नवीन सर्वे क. 2, 3, 3/1778 एवं सर्वे क. 3 के पट्टे अनावेदकगण

M

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र० ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1415-एक/2017 जिला-शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमात्रों आदि के हस्ताक्षर
5.2.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० पी० धाकड उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 142/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20.04.17 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 29/3/19</p> <p><u>अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर</u></p>	 <p>सदस्य</p>